

## उपक्रम

1. आवेदक स्वीकार करता है कि इस उपक्रम के तहत विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए सभी पंजीकृत नियमों का अर्थ इस उपक्रम से जुड़े लोन के सामान्य नियमों और शर्तों ("लोन शर्तों") के तहत दिया गया है। आवेदक ने इस आवेदन पत्र में उल्लिखित वित्त सुविधा के लिए मनीव्यू मोबाइल एप्लिकेशन मनीव्यू लिमिटेड(पहले इसे 'मनीव्यू प्राइवेट लिमिटेड' और क्लिंज़म इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) ("प्लेटफॉर्म") पर आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया है। आवेदक घोषणा करता है कि इस आवेदन पत्र में दिए गए/ भरे गए सभी विवरण और जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही, पूर्ण है और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। आवेदक समझता है कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी उस लोन का आधार बनेगी जिसे विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("विज़डम फाइनेंस") आवेदक को देने का निर्णय ले सकता है और यदि इस आवेदन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि विज़डम फाइनेंस को पता चलता है कि आवेदक ने कोई गलत या अधूरी जानकारी दी है, जाली या नकली दस्तावेज़ प्रदान किए हैं, तो उन्हें आवेदक द्वारा विज़डम फाइनेंस के साथ हेर फेर किए जाने के रूप में माना जाएगा और विज़डम फाइनेंस को इस लोन आवेदन को तुरंत अस्वीकार करने, किसी भी मंजूरी या आगे के ड्रॉ-डाउन को रद्द करने या आवेदन पत्र प्रक्रिया के किसी भी चरण में दिए गए किसी भी लोन को वापस लेने का अधिकार होगा, विज़डम फाइनेंस और इसके कर्मचारी/ प्रतिनिधि/ एजेंट/ सेवा प्रदाता आवेदक को ऐसी अस्वीकृति या ऐसी अस्वीकृति की सूचना देने में किसी भी देरी के लिए (किसी भी भुगतान के लिए जो आवेदक द्वारा रद्द करने से पहले किसी भी विक्रेता/ सेवा प्रदाता को किया जा सकता है)। किसी भी तरह से जिम्मेदार/ उत्तरदायी नहीं होंगे। आवेदक समझता है कि विज़डम फाइनेंस अन्य स्रोतों/ एजेंट से भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करेगा जैसा की गोपनीयता नीति के तहत बताया गया है और आवेदक स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान करता है/ इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक आगे पुष्टि करता है कि आवेदक को विज़डम फाइनेंस से वित्त प्राप्त करने के सभी नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी है। आवेदक विज़डम फाइनेंस कोई संवेदन पत्र में दी गई जानकारी के संदर्भ में पूछने के लिए अधिकार देता है जिसे विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझता है, जिसमें उन बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ ट्रांसफूनियन सिबिल से भी पूछताछ शामिल है जहां आवेदक की बैंक खाते हैं। आवेदक विज़डम फाइनेंस को समय-समय पर आवेदक का पैन नंबर/ प्रतिलिपि/ अन्य पहचान/ निवास प्रमाण और बैंक खाते का विवरण प्राप्त करने, आवेदक के लोन विवरण और पुनरभुगतान इतिहास से संबंधित सभी सूचनाओं को अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों आदि के साथ-साथ विनिमय/ साझा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को सहमति/ अधिकार देता है और समय-समय पर ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करता है/ बनाता है, जो आवश्यक हो सकती हैं और आवेदक इस जानकारी के उपयोग के लिए विज़डम फाइनेंस को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराधिक या बैंकरप्सी कार्यवाही नहीं चल रही है।
2. आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदक अंग्रेजी भाषा में निपुण है या उसने किसी ऐसे एडवाइजर से परामर्श किया है जो अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से कुशल है, ताकि आवेदक सावधि लोन की शर्तों और सावधि लोन से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज़ को समझ सके। आवेदक इस बात की पुष्टि करता है कि आवेदक सावधि लोन से संबंधित सभी सूचना अंग्रेजी में प्राप्त करना पसंद करता है। आवेदक यह भी समझता है कि यदि आवेदक को यह दस्तावेज़ या सावधि लोन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अनुवादित प्राप्त हुआ है और यदि अनुवादित संस्करण का अर्थ अंग्रेजी संस्करण से अलग है तो यह संस्करण सावधि लोन की शर्तों को नियन्त्रित करेगा।
3. आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदक ने इस आवेदन पत्र के साथ या इसके संबंध में आवेदन पत्र एकत्र करने वाले व्यक्ति को नकद, बियरर चेक या किसी अन्य तरीके से कोई भुगतान नहीं किया है। आवेदक विज़डम फाइनेंस या उसके कर्मचारियों/ प्रतिनिधियों/ एजेंटों/ स्वयंसेवकों/ सेवा प्रदाताओं को इस आवेदन पत्र को लेने वाले व्यक्ति को किए गए ऐसे किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
4. आवेदक एतद्वारा पुष्टि करता है कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर टेलीफोनिक कॉल, या संदेश के माध्यम से, या किसी अन्य संचार विधि के माध्यम से, विज़डम फाइनेंस या मनीव्यूद्वारा प्रदान की जाने वाली लोन-देन संबंधी जानकारी, विभिन्न लोन प्रस्ताव योजनाओं या लोन प्रचार योजनाओं या किसी भी अन्य प्रचार योजनाओं के विषय में सूचित किया जाना चाहता है और इसके द्वारा विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू और उनके कर्मचारी, एजेंट, सहयोगी को ऐसा करने का अधिकार देता है। आवेदक पुष्टि करता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" ("एनडीएनसी रजिस्ट्री") में निर्दिष्ट अवधित संचार के संबंध में कानून विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू उसके कर्मचारियों, एजेंटों / सहयोगियों से प्राप्त ऐसे संचार / कॉल / एसएमएस के लिए लागू नहीं होंगे। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और आवेदक के पास मनीव्यूद्वारा व्यवस्थित/प्रदान की गई किसी भी लोन या अन्य सुविधा के लिए विज़डम फाइनेंस के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, जिसे विज़डम फाइनेंस द्वारा स्वीकृत/वितरित नहीं किया गया है। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी अन्य उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिनिधित्व, वादा, बयान या समर्थन नहीं करता है जो मनीव्यूद्वारा प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने या लोन प्रोसेसिंग के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्राप्त करने के लिए आवेदक की जानकारी को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को सहमति देता है।
6. आवेदक समझता है कि आवेदक के पास व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने, तीसरे पक्ष के लिए प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने, जानकारी प्रतिधारण, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए पहले से दी गई सहमति को रद्द करने और यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर मनीव्यू के डाटा को हटाने/ भूलने का निर्देश देने का विकल्प है और ऐसे निर्देश का मनी व्यू द्वारा पालन किया जाएगा, जो मनी व्यू की गोपनीयता नीति के अधीन है। आवेदक स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से विज़डम फाइनेंस/ मनी व्यू को आवेदक की व्यक्तिगत/ व्यावसायिक जानकारी/ केवाईसी के किसी भी पहलू को सीधे या किसी भी अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से एकत्र करने, संग्रहित करने, साझा करने, प्राप्त करने और अपने एजेंटों/ ठेकेदारों/ सेवा प्रदाताओं को ऐसी जानकारी का खुलासा करने का अधिकार देता है। और इसकी गोपनीयता नीति में विस्तृत शर्तों के अनुसार ऐसी जानकारी का उपयोग इस प्रकार करने जो विज़डम फाइनेंस/ मनी व्यू द्वारा आवश्यक हो सकता है इस संबंध में, आवेदक स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से विज़डम फाइनेंस/ मनी व्यू आवेदक को किसी भी अतिरिक्त सूचना दिए बिना लागू नियमों के तहत अनुमत किसी भी तरीके से आवेदक की व्यावसायिक जानकारी/ केवाईसी एकत्र, उपयोग, सत्यापित करने के लिए विज़डम फाइनेंस/ मनी व्यू अधिकृत करता है।
7. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक ने लोन शर्तों को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है।
8. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक या विशेष अधिकारी का रिश्तेदार/ संबंधित इकाई नहीं है।
9. लोन शर्तों में निर्धारित आवेदक द्वारा सहमत किसी भी घटना या कार्यक्रम से ठीक से सहमत न होने पर विज़डम फाइनेंस कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा।

10. आवेदक समझता है कि बीमा और/ या कोई भी तृतीय पक्ष उत्पाद/ सेवाएं जो मनी भी प्लेटफार्म पर प्रचारित की जाती है इस आवेदन पत्र की प्रक्रिया और इसके तहत सुविधा के वितरण के उद्देश्य से अनिवार्य नहीं है। आवेदक स्वीकार करता है कि प्लेटफार्म पर अन्य उत्पादों के साथ-साथ इस तरह के बीमा और/ या किसी भी तृतीय पक्ष उत्पाद/ सेवाओं का लाभ उठाना आवेदक का एकमात्र विवेकाधिकार होगा। यदि चुना जाता है तो आवेदक विज़डम फाइनेंस को बीमा कंपनी/ तीसरे पक्ष को संबंधित राशि काटने और स्थानांतरित करने और विज़डम फाइनेंस के पास बकाया सुविधा के विरुद्ध बीमा कंपनी से दावे के खिलाफ किसी भी धन वापसी/ भुगतान( जिस भी तरीके से वर्णित हो) को समायोजित करने की सहमति देता है।
11. आवेदक नोट करता है और पुष्टि करता है कि आवेदक में लोन सुविधा के अनुदान के लिए सामान्य नियम और शर्तों को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है।
12. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक विज़डम फाइनेंस के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार/ संबंधित इकाई नहीं है।
13. विज़डम फाइनेंस, लोन शर्तों में आवेदक द्वारा निर्धारित और सहमत किसी भी चूक की घटना के घटित होने पर कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा, जैसा उसे ठीक लगे।
14. आवेदक यह समझता है कि इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने से सुविधा की गारंटी नहीं मिलती है और विज़डम फाइनेंस किसी भी समय अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की मांग कर सकता है, जिसकी आवश्यकता हो।
15. आवेदक आगे यह पुष्टि करता है कि वे ऋण दस्तावेजों के मानक मसौदे को क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ देख सकते हैं: <https://whizdmfinance.com/vernacular-disclosure-of-loan-documents/>। यदि आवेदक अपने ऋण दस्तावेज किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सहायता के लिए हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं।

## व्यापारिक लोन के लिए सामान्य नियम और शर्तें

लोन के सामान्य नियम और शर्तें ("लोन शर्तें") विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लोन के लिए, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") अधिनियम, 1934 के अर्थ के भीतर एक गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर १७/१, तीसरी मंज़िल, द एड्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुबिसेनाहल्ली, बैंगलुरु - ५६०१३ में है। (इसके बाद 'विज़डम फाइनेंस' के रूप में संदर्भित, जिसका अर्थ होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे)

### 1. परिभाषाएं

इन लोन शर्तों और लोन आवेदन पत्र में निहित नियम और अभिव्यक्ति निम्नानुसार परिभाषित किए गए हैं:

- 1.1 "लागू कानून" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है कोई भी स्थिति, कानून, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, कानूनी नियम, आदेश, आज्ञा, निकासी, अनुमोदन, निर्देश, दिशा निर्देश, नीति आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व गारी में इस प्रकार के निर्णय, व्याचार या प्रशासन शामिल है, चाहे इन लोन की शर्तों के लागू होने की तारीख के अनुसार या उसके बाद प्रयोक्ता मामले में संशोधित किया गया हो।
  - 1.2 "ऋणी" का अर्थ है ऋणी जैसा कि स्वीकृति पत्र या मुख्यांश पत्र ("केएफएस") में वर्णित है;
  - 1.3 "ऋणी की देय राशि" का अर्थ है, ऋणदाता द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी राशियां, जिसमें देय लोन चार्ज, ब्याज, अतिदेय प्रभार, अन्य सभी प्रभार, लागत और व्यय शामिल हैं जो समय-समय पर देय हो सकते हैं;
  - 1.4 "व्यावसायिक दिवस" का अर्थ उस दिन से है, जिसमें सामान्य कार्य घंटे शामिल है, जिस दिन निर्धारित बैंक बैंगलोर, भारत में कार्य करते हैं;
  - 1.5 "कूलिंग ऑफ अवधि" का अर्थ केएफएस के तहत निर्दिष्ट अवधि से होगा;
  - 1.6 "देय तिथि" से अर्थ उसे तिथि से है जिस दिन ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई राशि ऋणी से विज़डम फाइनेंस को पुनर्भुगतान अनुसूची और/ या केएफएस के अनुसार देय होती है।
  - 1.7 "ईएमआई" का अर्थ है ऋणी द्वारा वित्त पोषण दस्तावेजों के अनुसार सावधि लोन की पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए पुनर्भुगतान की जाने वाली सामान मासिक राशि;
  - 1.8 "सुविधा/ सावधि लोन" का अर्थ है की वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी के स्वीकृत और वितरित की गई लोन राशि;
  - 1.9 "वित्तपोषण दस्तावेज" का अर्थ है यह लोन शर्तें, लोन आवेदन, केएफएस, पॉवर ऑफ अटॉर्नी इसके अनुबंधों सहित और कोई भी दस्तावेज, विलेख, घोषणा या ऋणी द्वारा निष्पादित या विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य उपकरण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है;
  - 1.10 "ब्याज" का अर्थ केएफएस में निर्धारित सावधि लोन पर लगाया गया ब्याज है, जो समय-समय पर यहां दिए गए प्रावधान के अनुसार परिवर्तन के अधीन है;
  - 1.11 "मुख्य तथ्य पत्रक"/"विवरण" या "केएफएस" का अर्थ है विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच निष्पादित सावधि लोन से संबंधित सभी विवरणों वाला दस्तावेज, जिसमें सुविधा की शर्तों की जानकारी होती है, जिसमें ब्याज दर, अतिदेय शुल्क, अवधि, ईएमआई और ऐसी अन्य जानकारी शामिल है, जो आवश्यक हो सकते हैं और जो इन लोन शर्तों के साथ के रूप में संलग्न हैं;
  - 1.12 "लोन आवेदन" से तात्पर्य निर्धारित प्रपत्र में आवेदन से है, जो समय-समय पर ऋणी द्वारा वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को प्रस्तुत किया जाता है;
  - 1.13 "महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ है विज़डम फाइनेंस की राशि में कोई घटना या परिस्थिति:
    - i. ऋणी की देय राशि का भुगतान करने की क्षमता पर वास्तविक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
    - ii. वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने या अन्यथा उसका अनुपालन करने की ऋणी की क्षमता पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;
    - iii. ऋणी की व्यवसाय, कार्य, संपत्ति, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा) या अपेक्षाओं को महत्वपूर्ण या प्रतिकूल प्रभावित करने की संभावना है; या किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज के परिणामस्वरूप ऋणी के खिलाफ कानूनी, वैध और बाध्यकारी ना होने तथा उसकी शर्तों के अनुसार लागू न होने की संभावना है;
    - iv. "अतिदेय प्रभाव"/"पेनल्टी प्रभाव" का अर्थ केएफएस में निर्धारित पेनल्टी प्रभाव से है, जो उन सभी देय राशियों पर देय है, जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तारीखों पर नहीं किया गया है;
- 1.15 "उद्देश्य" का अर्थ केएफएस के तहत निर्दिष्ट विज़डम फाइनेंस से सावधि लोन प्राप्त करने का कारण है।
- 1.16 "पुनर्भुगतान अनुसूची" का अर्थ इन लोन शर्तों के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई सूची से होगा, जिसमें ऋणी द्वारा ली गई सुविधा के पुनर भुगतान के लिए ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई की सूची का विवरण होगा।
- 1.17 "एसएमए" का अर्थ है आरबीआई परिपत्र द्वारा परिभाषित विशेष उल्लेख खाता। जो DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 दिनांक जून 7, 2019 है।

इन लोन की शर्तों में, (a) एकवचन में बहुवचन (और इसके विपरीत) शामिल है और (b) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

### 2. संवितरण

- 2.1 ऋणी द्वारा किए गए प्रतिरूप और वारंटी पर भरोसा करते हुए और ऋणी द्वारा प्रस्तुत लोन आवेदन के अनुरूप, ऋणी द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाओं, यदि कोई ऋणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विज़डम फाइनेंस यह निहित शर्तों के अनुसार ऋणी को सावधि लोन उपलब्ध कराएगा और ऐसे अन्य नियम और शर्तें सावधि लोन की अवधि में समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित की जाएँगी। ऋणी एतद्वारा प्रतिनिधित्व करता है और वचन देता है कि सावधि लोन का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र/केएफएस में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऋणी किसी भी अनेतिक, अवैध या सद्वा उद्देश्यों के लिए सावधि लोन या उसके हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। ऋणी विज़डम फाइनेंस के अनुरोध पर, ऐसे सभी विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो सावधि लोन की राशि के उपयोग के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं। ऋणी स्वीकार करता है कि सावधि लोन का अनुदान और ऋणी के अनुरोध की स्वीकृति विज़डम फाइनेंस के पूर्ण विवेक पर होगी।

- 2.2 ऋणी स्वीकृति पत्र/केएफएस में वर्णित तथ्यों के अनुसार गैर-वापसी प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करेगा, साथ ही उस पर यदि कोई कर लागू है तो उसका भी भुगतान करेगा। ऋणी इस बात से सहमत है कि यदि ऋणी ने सावधि लोन के साथ किसी बीमा उत्पाद का विकल्प चुना है, तो ऐसे बीमा के लिए बीमा प्रीमियम संवितरण के समय सावधि लोन राशि से काट लिया जाएगा। तदनुसार, ऋणी विज़डम फाइनेंस को सावधि लोन राशि से लागू करने के साथ इन राशियों को काटने और ऋणी को केवल शेष राशि वितरित करने के लिए भी अधिकृत करता है। ऋणी एतद्वारा पुष्टि करता है कि इस तरह के प्रभारों की कटौती के बावजूद, ऋणी विज़डम फाइनेंस को केएफएस के तहत निर्दिष्ट लागू करने के साथ ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य प्रभारों के साथ पूर्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2.3 ऋणी के पास केएफएस में यथा निर्दिष्ट कूलिंग-ऑफ अवधि के भीतर बिना किसी पेनलटी के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का भुगतान करके सावधि लोन से बाहर निकलने का विकल्प होगा, जैसा कि केएफएस में बताया गया है। हालांकि, विज़डम फाइनेंस द्वारा लगाए गए प्रोसेसिंग फीस और अन्य वैधानिक प्रभार गैर-वापसी होंगे। कूलिंग-ऑफ अवधि की समाप्ति के बाद ऋणी द्वारा कोई भी पूर्व भुगतान इन लोन शर्तों के खंड 3.5 के अधीन होगा।
- 2.4 विज़डम फाइनेंस एतद्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि सभी शर्तों के ऋणी द्वारा पूर्ति और अनुपालन के अधीन, जैसा कि समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या जैसा कि केएफएस में निर्दिष्ट समय के भीतर इन लोन शर्तों के तहत प्रदान किया गया है, विज़डम फाइनेंस, ड्रॉडाउन अनुरोध के ऋणी से प्राप्त होने पर, ड्रॉडाउन अनुरोध में उल्लिखित ऐसी राशियों के लिए सुविधा (यदि ड्रॉडाउन किश्तों में है) वितरित करेगा। ऋणी द्वारा किसी विशेष किश्त के संबंध में या सुविधा की संपूर्ण राशि के एकमुश्त वितरण के लिए ड्रॉडाउन अनुरोध के ऋणी से प्राप्त होने पर।
- 2.5 यदि ऋणी किश्तों में सुविधा वापस लेने का प्रस्ताव करता है, यदि डिफ़ॉल्ट की घटना होती है, तो विज़डम फाइनेंस बकाया सुविधा के भुगतान से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा कि विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित करता है।
- 2.6 ऋणी(ओं) द्वारा ऋणदाता को संवितरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे:
- i) ऋणी के केराईसी दस्तावेज़;
  - ii) आय/व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज़;
  - iii) उदाम प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो;
  - iv) इस तरह के अतिरिक्त दस्तावेज़ और इस तरह के रूप और तरीके और ऐसे समय के भीतर जो समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 2.7 विज़डम फाइनेंस सुविधा के संवितरण के बाद वितीय स्थिति, सावधि लोन आय के उपयोग, निवास और संपर्क विवरण, अपने ग्राहक को जानें (केराईसी) आवश्यकताओं से संबंधित दस्तावेज़, आदि से संबंधित ऋणी के अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि इस तरह के दस्तावेज़ ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो विज़डम फाइनेंस सुविधा को वापस लेने या उसके लिए उपलब्ध किसी अन्य उपाय का प्रयोग करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी को सूचित करने के बाद अपने विवेकाधिकार पर ब्याज दर बढ़ाने का हकदार होगा।
- ### 3. ब्याज़ और पुनर्भुगतान
- 3.1 ऋणी देय सावधि लोन पर ब्याज और स्वीकृति पत्र/केएफएस में दिए गए प्रावधान के अनुसार देय अन्य सभी राशियों का भुगतान करेगा। ऋणी अतिरिक्त रूप से सहमत है कि सावधि लोन संवितरण की संबंधित तिथि से ईएमआई ("ब्रोकन पीरियड ब्याज") शुरू होने की तिथि तक ब्याज दर के अधीन होगा, जिसे आपकी पहली ईएमआई में जोड़ा जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में, यदि किस्त का भुगतान नियत तिथि को नहीं किया जाता है तो सभी अतिदेय राशियां पर केएफएस में निर्धारित दर के आधार पर अतिदेय प्रभार अर्जित किया जायेगा जिनकी गणना भुगतान के लिए संबंधित नियत तारीखों से की जाएगी और यह यदि कोई कर लागू है तो उसके अध्यधीन हो सकते हैं। किसी भी दरों, करों, प्रभारों, आयात, करारेपण और धन में वृद्धि के कारण ईएमआई स्वतः बढ़ जाएगी जो कि ईएमआई पर कर के रूप में लगाई जा सकती है और विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित होगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दर, कर, फीस और धन में वृद्धि, स्वतः ही इस लोन शर्तों के तहत स्वीकृत सावधि लोन का हिस्सा बन जाएगी।
- 3.2 समय पर प्रत्येक ईएमआई का भुगतान अनुबंध का सार है। ऋणी स्वीकार करता है कि उसने ईएमआई की गणना की विधि को समझ लिया है और उस पर विवाद नहीं करेगा। ईएमआई केवल देय मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगी और इसमें कोई अतिदेय प्रभार या वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार ऋणी द्वारा देय कोई अन्य प्रभार शामिल नहीं है।
- 3.3 यदि आवश्यकता है तो लागू कानूनों के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा, और विज़डम फाइनेंस देय सावधि लोन और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई / ईएमआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को ऐसी स्थिति किया गया एसा कोई भी परिवर्तन अंतिम और ऋणी पर बाधकारी होगा और ऐसा परिवर्तन संभावित रूप से प्रभावी होगा। ऐसी स्थिति में, केएफएस के प्रावधानों के अतिरिक्त, ऋणी इसी संशोधित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इस अनुबंध का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस तरह की संशोधित दर का उल्लेख यहां ब्याज के रूप में स्पष्ट रूप से किया गया था, और ऋणी(ओं) विज़डम फाइनेंस को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जो विज़डम फाइनेंस द्वारा केंद्र या राज्य सरकार को ब्याज (और/या अन्य प्रभार) पर लगाए गए किसी कर के कारण भुगतान या देय हो सकती है। इस तरह के संशोधन की स्थिति में ऋणी बिना किसी पूर्व भुगतान प्रभार के, ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण देय सावधि लोन का समय पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा। यदि ऋणी कूलिंग-ऑफ अवधि के बात सावधि लोन राशि का पूर्व भुगतान करना चाहता है, तो ऋणी द्वारा देय कोई भी पूर्व भुगतान जुर्माना विज़डम फाइनेंस के विवेक पर होगा विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किया जाएगा।
- 3.4 ऋणी किसी भी ईएमआई/सावधि लोन का पूर्व-भुगतान शर्तों और पूर्व भुगतान प्रभारों, यदि कोई हो, के अधीन कर सकता है, जैसा कि लोन की शर्तों के तहत निर्दिष्ट किया गया है और केएफएस में उल्लेखित है।

3.5 ऋणी सभी ब्याज, करों, कर्तव्यों, उपकरों, और अन्य प्रकार के करों का वहन करेगा, चाहे वह अब या भविष्य में लागू हो, वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी समय किसी भी कानून के तहत देय है। यदि यह व्यय विज़डम फाइनेंस द्वारा किए जाते हैं, तो ये ऋणी से वसूल करने योग्य होंगे और भुगतान की तारीख से प्रतिपूर्ति तक सावधि लोन के समान ब्याज दर पर होंगे।

3.6 सावधि लोन के संबंध में लोन खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिपत्रों/विनियमों के गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब ईएमआई (मूलधन और/या ब्याज) का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक देय रहता है, अर्थात् लोन खाते को मूल देय तिथि से निरंतर चूक के 91वें दिन एनपीए के रूप में चिह्नित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋणदाता को इस तिथि के कार्य दिवस से पूर्व पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, अर्थात्, लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर एसएमए 2 के रूप में टैग किया जाएगा, और यदि आगे अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3.7 यदि किसी भुगतान की नियत तारीख कार्य दिवस नहीं है, तो राशि का भुगतान ऋणी द्वारा कार्य दिवस के तुरंत बाद किया जाएगा।

3.8 ब्याज अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन के आधार पर अर्जित किए जाएंगे और इनकी गणना वर्ष में 365 दिनों और बीते दिनों की वास्तविक संछा के आधार पर की जाएगी।

3.9 ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी राशि वैधानिक करों के अलावा किसी भी कटौती के बिना भुगतान की जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की रिकवरी पर दिया जाएगा।

#### 4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान की विधि

4.1 जैसा कि समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा अपेक्षित है, ऋणी की देयताओं के भुगतान के लिए ऋणी के बैंक खाते के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा अधिसूचित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन के लिए ऋणी अधिकार (सामूहिक रूप से "एनएसीएच" के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (डेबिट समाशोधन) प्रदान करेगा। इस तरह के एनएसीएच को ऐसे बैंक और स्थान से लिया जाएगा जिस पर विज़डम फाइनेंस द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऋणी, लोन की देय राशियों के लिए सभी भुगतानों का भुगतान पहली प्रस्तुति/नियत तारीखों पर बिना किसी असफलता के करेगा। ऋणी (ऋणी औं) द्वारा प्रदत्त एनएसीएच का उपयोग विज़डम फाइनेंस द्वारा किसी ऋणी की देय राशि की रिकवरी के लिए किया जा सकता है। ऋणी एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तीय रूप से विज़डम फाइनेंस को आवश्यक लागू कानूनों के तहत अनुमत इस तरह की रिकवरी व सभी कार्बवाई करने के लिए अधिकृत करता है। ऋणी तुरंत (और किसी भी घटना में सात (7) दिनों के भीतर) ऋणी के देय राशि के भुगतान के लिए निष्पादित एनएसीएच और/या अन्य दस्तावेजों को बदल देगा, जो कि समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा अपने विवेकाधिकार पर आवश्यक हो सकते हैं।

4.2 ऋणी को संबंधित देय तिथियों पर ऋणी की देय राशि के भुगतान के लिए हर समय अपने बैंक खाता/खातों में पर्याप्त राशि रखनी होंगी। ऋणी उस बैंक खाते/खातों को बंद नहीं करेगा/ रद्द नहीं करेगा जिससे एनएसीएच जारी किया गया है या रद्द करने या एनएसीएच के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या विज़डम फाइनेंस को निर्देश जारी नहीं करेगा और विज़डम फाइनेंस ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।

4.3 ऋणी सहमत है और स्वीकार करता है कि एनएसीएच ऋणी की देय राशि के निर्वहन में स्वेच्छा से जारी किया गया है ना की और किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के माध्यम से। ऋणी यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी एनएसीएच का अनादरण परकार्य लिखत अधिनियम, 1881 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। ऋणी प्रत्येक एनएसीएच अनादरण (केएफएस में निर्धारित) के लिए अनादरण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.4 किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अंतर जो भी हो, ऋणी किसी भी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या देरी करने का हकदार नहीं होगा और विज़डम फाइनेंस संबंधित देय तिथियों पर एनएसीएच प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

4.5 एनएसीएच जारी किए जाने के बावजूद, ऋणी देय राशियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऋणी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

4.6 ऋणी स्वीकार करता है और सहमत है कि विज़डम फाइनेंस, परिस्थितियों के अनुसार सही समझे तो, ईएमआई को बदलने या पुनर्निर्धारित करने का इस हृद और सीमा तक अधिकारी होगा जो लागू कानूनों के तहत अनुमत है। विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार में, ऋणी को उचित नोटिस के साथ निर्णय ले सकता है की ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान उस तिथि से किया जायेगा जिस तिथि से ईएमआई बदली व पुनर्निर्धारित की गयी है तथापि इस अनुबंध के लोन की अवधि मैं जौ भी कहा गया हो।

4.7 किसी भी दस्तावेज में कही गई किसी बात के बावजूद, सावधि लोन की निरंतरता विज़डम फाइनेंस के विवेकाधिकार पर होगी और यह किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार और बिना कोई कारण बताए सावधि लोन की समीक्षा करने का अधिकार हो सकता है और (i) सावधि लोन या सावधि लोन के किसी भी अप्रयुक्त हिस्से को तुरंत बदलना, समाप्त करना, कम करना, निलंबित करना या रद्द करना और/या कोई भी उपलब्ध कराना बंद करना बंद कर सकता है वित्तपोषण दस्तावेजों या लागू कानून के तहत विज़डम फाइनेंस को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के पूर्वाग्रह के बिना सावधि लोन का आगे उपयोग; और/या (ii) सावधि लोन प्रदान करने को रद्द करना, अस्वीकार करना या मना करना। इस खंड के अनुसार सावधि लोन को रद्द करने, निलंबित करने या अस्वीकार करने की ऐसी किसी भी सूचना की सूचना पर या सेवा पर, ऋणी की देय राशि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को लागत, करों, प्रभारों, ब्याजों, अतिदेय प्रभार, प्रभार और सभी राशियों के साथ देय हो जाएगी जो इस तरह के पुनर्भुगतान के लिए नोटिस में विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर देय है। विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसी मांग पर, ऋणी (ओं) को तथाकृत होने के 1 (एक) व्यावसायिक दिन के भीतर, बिना किसी देरी या देरी के ऋणी के पूरे देय का भुगतान करना होगा। विज़डम फाइनेंस द्वारा रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति नोटिस की सूचना या सेवा

ऋणी पर अंतिम, गैर-प्रक्रान्ति और बाध्यकारी होगी। कोई भी रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी या ऐसे वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत ऋणी की देयता का निर्वहन नहीं करेगी।

- 4.8 विज़डम फाइनेंस को इन लोन शर्तों के तहत देय और देय किसी भी भुगतान को विनियोजित करने का अधिकार होगा और ऋणी (ओं) द्वारा ऋणी की देय राशि के लिए उस क्रम में किया जाएगा जिसे विज़डम फाइनेंस उपयुक्त समझता है, पहले, अतिदेय ईएमआई के लिए, यदि कोई हो; दूसरा, व्याज की लिए, तीसरा, मूलधन के लिए और अंतिम सावधि लोन के तहत देय पूर्व भुगतान जुर्माना, लागत, प्रभार आदि स्वरूपों के लिए। यहां कहीं गई किसी भी बात के अतिरिक्त, विज़डम फाइनेंस अपने स्वरूप विवेकाधिकार से और जिस तरह उचित समझता है ऋणी से प्राप्त सभी भुगतानों के विनियोग के तरीके को संशोधित करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बावजूद, ऋणी (ओं) का, ऋणी के सभी देय के लिए विज़डम फाइनेंस के प्रति उत्तरदायी बने रहना जारी रहेगा, जब तक कि विज़डम फाइनेंस की संतुष्टि के लिए इसका पूर्ण समझौता नहीं हो जाता।

## 5. ऋणी की अनुबंध, प्रतिनिधित्व और वारंटी

### 5.1 ऋणी यह करेगा:

- (i) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन और प्रदर्शन करना।
- (ii) विज़डम फाइनेंस को बैंक खाता विवरण सहित सभी दस्तावेजों को तुरंत वितरित करें, जो समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। ऋणी विज़डम फाइनेंस को निम्नलिखित के साथ खाते रूप से संवाद करने के लिए भी सहमति देता है/अधिकृत करता है (i) कोई भी बैंक जहां ऋणी खाता रखता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) जैसा विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझे किसी भी ऋणी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ, ऋणी की साख की निगरानी के लिए भी।
- (iii) ऋणी के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।
- (iv) किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की घटना या किसी भी घटना के बारे में जो ऋणी द्वारा दायित्वों के प्रदर्शन में देरी कर सकती है और जिससे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की घटना हो सकती है के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।
- (v) किसी भी अप्रत्याशित घटना या दैवीय घटना जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान या आंधी, आदि या अन्य समान घटनाओं के बारे में तुरंत विज़डम फाइनेंस को सूचित करें;
- (vi) 30 दिनों के भीतर कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते या किसी भी परिवर्तन/इस्तीफे/समाप्ति/रोजगार/व्यवसाय/व्यवसाय के बंद होने के सभी परिवर्तनों के बारे में विज़डम फाइनेंस को लिखित रूप में सूचित करें।
- (vii) ब्याज और अन्य देयताओं और प्रभारों सहित देय सावधि लोन का पूर्ण भुगतान किए बिना रोजगार अथवा व्यवसाय अथवा विदेश में दीर्घकालिक प्रवास के लिए भारत से बाहर न जाना।
- (viii) वेतन और/अथवा व्यवसाय आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करना जिससे ईसीएस, विज़डम फाइनेंस को जारी की गई है।
- (ix) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना।
- (x) सावधि लोन का उपयोग केवल इस प्रयोजन के लिए करें।
- (xi) सभी करों, लगान, देयताओं, प्रभारों, उद्धरणों और अधिरोपण जो समय-समय पर किसी सरकार या सांविधिक या विनियामक निकाय या प्राधिकरण को देय हों का नियमित भुगतान करना;
- (xii) विज़डम फाइनेंस के अनुरोध पर, ऐसे कार्य करें जो वित्तपोषण दस्तावेजों के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (xiii) ऋणी के परिसर और/या संपत्ति और/या परिसंपत्तियों के खिलाफ की जा रही किसी भी संकट या अदालत की अन्य प्रक्रिया के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।
- (xiv) व्यावसायिक घंटों के दौरान, विज़डम फाइनेंस, या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, या एजेंटों को ऋणी के व्यवसाय के स्थान या निवास का निरीक्षण करने की अनुमति दें। इसके अलावा, ऋणी एतद्वारा वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय राशि एकत्र करने के लिए ऋणी से उसके निवास स्थान पर संपर्क करने/व्यावसायिक घंटों के दौरान मिलने के लिए विज़डम फाइनेंस और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को अनुमति देने के लिए सहमत है।
- (xv) विज़डम फाइनेंस की पूर्व, विशिष्ट, और व्यक्त लिखित सहमति के बिना (ओं) (a) किसी अन्य व्यक्ति को कोई और ऋणग्रस्तता नहीं बनाएगा, ग्रहण नहीं करगा या वहन नहीं करेगा; (b) किसी अन्य व्याक्ति के दायित्वों के संबंध में किसी भी राशि को उधार देना या अग्रिम देना या किसी भी गारंटी या सुरक्षा दायित्वों को पूरा करना; (c) आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार ऋणी द्वारा वर्तमान में किए गए व्यवसाय को बदलना, बंद करना या विविधता लाना; (d) एनएसीएच अधिकार के संबंध में बैंक खाता बंद करना यहां किसी भी भुगतान को प्रभावी करने के लिए सक्षम किया गया है।

### 5.2 ऋणी निम्नानुसार विज़डम फाइनेंस का प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है:

- (i) लोन आवेदन और किसी अन्य दस्तावेज में ऋणी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे ऋणी की क्रेडिट योग्यता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या नहीं, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;
- (ii) घेरेलू आय के संबंध में ऋणी द्वारा की गई घोषणा सत्य और सही है।
- (iii) ऋणी वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए लागू सभी कानूनों के तहत सक्षम और हकदार है;
- (iv) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत दायित्वों का निर्वहन, वितरण और निष्पादन ऋणी की शक्तियों के भीतर है, ऋणी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाले किसी भी अनुबंध का, और किसी भी लागू कानून या विनियमन का उल्लंघन नहीं करता है;
- (v) ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं होगी जो ऋणी के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें;
- (vi) ऋणी की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह स्वस्थ दिमाग का है, भारत का निवासी है और अनुबंध करने के लिए सक्षम है।
- (vii) लोन की शर्तें ऋणी के लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो ऋणी के विरुद्ध शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य है;
- (viii) ऋणी यह घोषणा करता है कि किसी भी कानून द्वारा उसे इस सावधि लोन का लाभ उठाने से निष्पद्ध नहीं किया गया है;
- (ix) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो विज़डम फाइनेंस के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या ऋणी की वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उनके सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;
- (x) ऐसी कोई लंबित या धमकी भरी कार्रवाई नहीं है जो वित्तीय दस्तावेजों की वैधता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- (xi) ऋणी के पास परिषक होने पर अपने सभी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है;
- (xii) ऋणी किसी कर या सरकारी देयता के भ्रातान की चुक में नहीं है;
- (xiii) ऋणी इन लोन शर्तों की शर्तों को प्रभावी करने के लिए विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक सभी कार्य, कर्म और चीज को करेगी;

- (xiv) ऋणी के विरुद्ध कोई बैंकरसी अथवा दिवालियापन की कार्यवाहियां शुरू नहीं की गई हैं। इसके अलावा, ऋणी ने अपने दिवालियापन के लिए दिवालियापन समाधान या दिवालियापन टर्स्टी के रूप में या इसके लिए अन्य सामान अधिकारी या अपने सभी उपक्रमों परिसंपत्तियों और संपत्तियों के लिए एक दिवालिया परे पेशेवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है;
- (xv) ऋणी (a) किसी भृष्ट/कपटपूर्ण व्यवहारों/मिलीभगात/जबरदस्ती के कार्यों; (b) धन शोधन, या (c) आतंकवाद का वित्तपोषण मैं संलग्न नहीं हैं;
- (xvi) ऋणी के आवासीय और आधिकारिक पते का विवरण, जैसा कि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अंतिम बार प्रदान किया गया है, वैध और मौजूद है और उक्त पतों में से किसी एक को पत्राचार के लिए वैध पता माना जाएगा जब तक कि अन्यथा लिखित रूप में ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अधिसूचित न किया जाए; और
- (xvii) खंड 6 में यथा निर्दिष्ट चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है अथवा होने की संभावना नहीं है।
- (xviii) यदि विज़डम फाइनेंस को संदेह है या यदि सुविधा के संबंध में गलत काम या थोखाथड़ी गतिविधि का संकेत है, तो विज़डम फाइनेंस को उचित लगे तो एक आंतरिक और/बाह्य लेखापरीक्षक को आवश्यक जांच के लिए संलग्न कर सकता है। ऋणी को ऐसी कार्यवाही प्रारंभ होने से 7 दिन पहले नोटिस देना होगा।
- 5.3 ऋणी विज़डम फाइनेंस को ऋणी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी का उपयोग/भंडारण करने के लिए अपनी सहमति देता है या अन्यथा विज़डम फाइनेंस द्वारा उस तरीके से खरीदा जाता है जिस तरह से वह इस सुविधा के प्रयोजनों के लिए या अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त समझता है और सहमत होता है कि विज़डम फाइनेंस अपने ठेकदारों को ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है, एजेंट और कोई अन्य तृतीय पक्ष। किसी तीसरे पक्ष (ओं) के साथ जानकारी का ऐसा साझाकरण, विज़डम फाइनेंस की गोपनीयता नीति के अधीन होगा जो विज़डम फाइनेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और प्लेटफार्म के माध्यम से ऋणी को उपलब्ध कराया गया है।
- 5.4 ऋणी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 (तीस) दिनों के भीतर या ऋणदाता के विवेकाधिकार पर प्रदान की गई ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के भीतर ऋणदाता को लेखापरीक्षित वर्षिक वित्तीय विवरण प्रदान करेगा।
- 5.5 ऋणी को पता है कि विज़डम फाइनेंस ने विज़डम फाइनेंस को सीधे या इस संबंध में अधिकृत किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराए गए केवल इसी दस्तावेजों के आधार पर ऋणी को सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और ऋणी ने किसी भी तरह से किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया नहीं है जो ऋणी को सुविधा प्रदान करने के विज़डम फाइनेंस के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी।
- 5.6 ऋणी को अपनी वित्तीय स्थिति, निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी परिस्थिति के बारे में विज़डम फाइनेंस को सूचित रखना होगा।
- 5.7 ऋणी इस बात से सहमत है कि विज़डम फाइनेंस को किसी भी निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, जब भी वे आवश्यक समझें, किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म (इसके बाद "लेखा परीक्षकों" के रूप में संदर्भित) को नियुक्त करने का अधिकार देता है और या आवश्यक सहायता के आधार पर ऋणी को सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और ऋणी ने किसी भी तरह से किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया नहीं है जो ऋणी को सुविधा प्रदान करने के विज़डम फाइनेंस के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी।
- 5.8 ऋणी तुरंत विज़डम फाइनेंस को लिखित सूचना देगा (i) कोई भी विवाद जो ऋणी और किसी व्यक्ति या किसी सरकारी निकाय या प्राधिकरण के बीच उत्पन्न हो सकता है जो स्वयं/उसके व्यवसाय से संबंधित या उससे संबंधित हो; (ii) ऋणी की क्षमता को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण परिस्थितियां जो यहां निर्धारित तरीके से सुविधा को चुकाने के लिए प्रभावित करती हैं; (iii) इसके पते में परिवर्तन या उसके संबंध में कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- 5.9 ऋणी पुष्टि करता है कि यहां निहित अभिवेदन और वारंटी को ऋणी द्वारा लोन शर्तों की तारीख से प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन दोहराया जाना माना जाएगा, जब तक कि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस/ऋणी के बकाया को देय सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जैसे कि ऐसे दिन मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।
- 5.10 ऋणी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत सुविधा के पुनर्भूगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है; (b) व्यवसाय करना बंद कर देगा; (c) अपनी परिसंपत्तियों/उपक्रमों के 50% से अधिक की बिक्री, हस्तांतरण या निपटान करना; (d) नए व्यवसाय में विविधता या संलग्न; (e) कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकेगा जिससे दिवाला संहिता के अधीन प्रतिकूल कार्रवाई होने की संभावना हो; (i) अपने बैंक को कोई अनुदेश जारी करेगा जो विज़डम फाइनेंस को उस बैंक खाते में पड़ी धनराशि का विनियोग करने से रोकेगा जिस पर लोन के पुनर्भूगतान के लिए भुगतान लिखत तैयार किए गए हैं; (i) वित्तपोषण दस्तावेजों की वैधता को चुनौती देना; (j) किसी भी आकलन, करों का भुगतान करने में विफल रहता है जो अब या इसके बाद सरकार, नगर पालिकाओं, या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं पर मूल्यांकन, लगाया या देय हो सकता है और मांग पर ऋणदाता को हर रसीद का उत्पादन कर सकता है; (k) विज़डम फाइनेंस की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बैंक या वित्तीय संस्थान सहित किसी भी व्यक्ति से कोई और लोन लेना, और/या अपनी परिसंपत्तियों को लोन के अधीन करना।

## 6. पूर्ववर्ती शर्तों और चल रही स्थितियां पूर्ववर्ती

- 6.1 ऋणी को विज़डम फाइनेंस द्वारा सुविधा का वितरण निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा:
- (i) ऋणी द्वारा दिए गए अभिवेदन सत्य और सही बने रहेंगे।
- (ii) ऋणी ने कोई चूक नहीं की है जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा डिफॉल्ट की घटनाओं (यहां परिभाषित) के तहत एक घटना के रूप में या डिफॉल्ट की संभावित घटना के रूप में देखा गया है।
- (iii) सुविधा या उसकी किश्त के संवितरण के अनुरोध के समय, ऋणी सुविधा के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग के ऐसे सक्ष्य या उसके किसी भी हिस्से का उत्पादन करेगा जो विज़डम फाइनेंस के लिए संतोषजनक है और जब भी विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो, इस बात का सबूत देने के लिए कि लोन का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

- (iv) ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई होंगी जो ऋणी के लिए लोन शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें।
- (v) ऋणी ने सभी वित्तपोषण दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित किया होगा।
- 6.2 विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेजों के अलावा, ऋणी सुविधा का लाभ उठाने के लिए विज़डम फाइनेंस के पास निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा:
- पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋणी द्वारा दायर आयकर रिटर्न।
  - व्यवसाय/मालिक के पक्ष में आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या की प्रमाणित प्रति;
  - विज़डम फाइनेंस को स्वीकार्य फार्म में आवासीय प्रमाण।
- 7. डिफॉल्ट की घटनाएं**
- 7.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएं, प्रत्येक इस सावधि लोन के प्रयोजनों के लिए ऋणी द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" का गठन करेंगी:
- ऋणी किसी भी ऋणी की देय राशि का भुगतान नियत तारीख पर करने में विफल रहता है या किसी भी कारण से इन लोन शर्तों के तहत दिए गए किसी भी एनएसीएच जनादेश या अन्य लिखित के भुगतान को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी करता है;
  - वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्तों, वाचाओं, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुस्ति का उल्लंघन;
  - ऋणी द्वारा कोई धोखाखाड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना जो किसी भी सुविधा को प्रदान करने के लिए विज़डम फाइनेंस के निर्णय को प्रभावित कर सकता था;
  - ऋणी की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;
  - ऋणी इस प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए सावधि लोन का उपयोग करता है;
  - किसी भी घटनाओं, शर्तों या परिस्थितियों (कानून में किसी भी बदलाव सहित) की घटना, जो विज़डम फाइनेंस की एकमात्र और पूर्ण राय में, एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकती है, जिसमें ऋणी के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्कीं/नियंत्रण के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा शामिल है;
  - ऋणी द्वारा किसी जाली दस्तावेज को प्रस्तुत करना;
  - ऋणी वित्तपोषण दस्तावेजों को अस्वीकार करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों को अस्वीकार करने के इरादे को साबित करने वाले किसी भी कार्य या बात को करता है या करवाता है;
  - ऋणी के सभी या पर्याप्त रूप से सभी उपक्रम, संपत्ति, या उसके हित सरकार के अधिकार द्वारा जब्त, राष्ट्रीयकृत, अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किए जाते हैं;
  - ऋणी को स्वेच्छाचारी डिफॉल्टर घोषित किया गया है या ऋणी द्वारा किसी भी ऋणप्रस्तता का निर्वहन करने में विफलता जो देय और भुगतान योग्य हो गई है, या ऋणी को किसी भी लागू कानून के प्रयोजनों के लिए माना जाता है कि वह अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ होने के लिए लिखित रूप में स्वीकार करता है क्योंकि वे देय हैं या, यदि ऋणी अपनी किसी भी ऋणप्रस्तता के पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन के लिए किसी भी ऋणदाता के साथ बातचीत शुरू करता है।
  - सावधि लोन प्रदान करना लागू कानूनों के अनुसार नहीं है या लोन की शर्तें इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी नहीं हैं या ऋणी (ओं) द्वारा किसी अन्य कारण से इसकी शर्तों के अनुसार अप्रभावी होने का आरोप लगाया गया है या यह ऋणी (ओं) के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए गैरकानूनी हो जाता है
  - कोई अन्य घटना जो विज़डम फाइनेंस की एकमात्र राय में ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान को खतरे में डालेगी।

7.2 डिफॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में विज़डम फाइनेंस का निर्णय ऋणी पर बाधकारी होगा।

7.3 ऋणी को दिवालियापन नोटिस या समापन नोटिस दिया जाता है या ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध दिवालियापन में कोई याचिका दायर की जाती है या ऋणी के व्यवसाय को बंद करने के लिए कोई याचिका दायर की जाती है और स्वीकार होने के 30 (तीस) दिनों में वापस नहीं ली जाती है; ; ऋणी अपने ऋणदाता (ओं) के लाभ के लिए कोई सामान्य असाइनमेंट करता है या ऋणी ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना एकीकरण या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से परिसमापन में चला जाता है।

7.4 वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत दायित्वों का प्रदर्शन ऋणी, या विज़डम फाइनेंस की ओर से शून्य या अवैध हो जाता है।

**8. डिफॉल्ट के परिणाम**

8.1 डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, विज़डम फाइनेंस का अधिकार होगा, लेकिन सावधि लोन के संबंध में देय सभी राशियों को घोषित करने का दायित्व नहीं होगा, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य और ऋणी पर 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार पर किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी लागू कानून के तहत विज़डम फाइनेंस को उपलब्ध हो सकता है, जिसमें ऋणी या उनकी संपत्ति के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है।

8.2 विज़डम फाइनेंस कानून द्वारा अनुमत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग कर सकता है, जिसमें मुकदमे द्वारा, इक्तिमी में, या कानूनी कार्रवाई द्वारा, या दोनों, या अन्यथा, चाहे किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, शर्त या अवधि के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हो वित्तपोषण दस्तावेज, या वित्तपोषण दस्तावेजों में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग की सहायता में और/या एक ऋणदाता के रूप में।

8.3 ऋणी पूर्वगामी चूक या विज़डम फाइनेंस उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8.4 विज़डम फाइनेंस के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के बावजूद, विज़डम फाइनेंस ऋणी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा यदि किसी भी समय विज़डम फाइनेंस के पास अपने विवेकाधिकार पर, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऋणी ने कोई गलत बयानी की है और/या विज़डम फाइनेंस को कोई जारी दस्तावेज या गढ़ा हुआ जानकारी प्रस्तुत की है।

8.5 विज़डम फाइनेंस को किसी भी सभी अवैतनिक ईएमआई के बाबर परिसमापन क्षति का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जो डिफॉल्ट की स्थिति की अनुपस्थिति में, ऋणी (ओं) द्वारा परी अवधि के लिए देय होती। विज़डम फाइनेंस ऋणी (ओं) से विज़डम फाइनेंस के कारण किसी भी पैसे के खिलाफ सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऋणी से ऋणी की देय राशि की रिकवरी के लिए विज़डम फाइनेंस के साथ आयोजित ऋणी के सभी खातों को संयोजित कर सकता है। वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस को प्रदत्त सभी अधिकार और शक्तियां किसी भी अधिकार के अतिरिक्त और पूरक होगी जो विज़डम फाइनेंस के पास किसी भी कानून और सुरक्षा दस्तावेजों के तहत ऋणी के खिलाफ ऋणदाता के रूप में हैं और उसके अपमान में नहीं होगा।

## 9. प्रकटीकरण

- 9.1 ऋणी, सावधि लोन, चूक, यदि कोई हो, से संबंधित सभी जानकारी और डेटा का खुलासा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकार करता है और अधिकृत करता है, ऋणी द्वारा ऐसे तृतीय पक्षों/एजेंसियों को प्रतिबद्ध किया जाता है जैसा कि विज़डम फाइनेंस उचित और आवश्यक समझे और/या क्रेडिट सूचना कंपनियों सहित आरबीआई द्वारा अधिकृत के रूप में। ऋणी ऐसी जानकारी को स्वीकार करता है और उसे अधिकृत करता है जिसका उपयोग विज़डम फाइनेंस/तृतीय पक्ष/आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिसे वे लागू कानूनों के अनुसार उचित समझ सकते हैं। इसके अलावा, डिफॉल्ट की स्थिति में, विज़डम फाइनेंस और ऐसी एजेंसियों के पास लागू कानूनों के अनुसार, ऋणी/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों के नाम का खुलासा या प्रकाशन करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, जैसा लागू हो, 'डिफॉल्टस' के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से जैसे कि विज़डम फाइनेंस/आरबीआई/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे, जिसमें अखबारों, पत्रिकाओं और सोशल मीडिया शामिल हैं।
- 9.2 ऋणी विज़डम फाइनेंस को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या खुलासा करने के लिए और ऋणी और/या उसके कारण अन्य द्वारा झेले गए किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस खंड के प्रावधान जीसी की समाप्ति और ऋणी के देय के पुनर्भुगतान से बचे रहेंगे।

## 10. समाप्ति

यहां निहित किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित घटनाओं के होने पर, लोन शर्तों को समाप्त करने और ऋणी के किसी भी ड्रॉडाउन या आगे ड्रॉडाउन करने के अधिकार को समाप्त करने का हकदार होगा, सुविधा के तहत, जैसा भी मामला हो: -

- i) सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा ऋणी को जारी किए गए स्वीकृति पत्र की वैधता के भीतर सुविधा के तहत किसी भी राशि को निकालने में ऋणी की विफलता।  
ii) डिफॉल्ट की पूर्वोक्त घटनाओं में से किसी के होने पर।

## 11. विविध

- 11.1 विज़डम फाइनेंस के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां अस्तित्व का निर्णायिक प्रमाण होंगी और ऋणी की देय राशि और विज़डम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत देय राशि का काइ भी विवरण ऋणी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- 11.2 ऋणी की देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी का दायित्व, उस मामले में जहां एक से अधिक ऋणी ओं ने किसी सुविधा के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया है, संयुक्त और कई होंगे।
- 11.3 ऋणी सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और विज़डम फाइनेंस के साथ सहयोग करेगा जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक है: (i) आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन करने के लिए, या (ii) विज़डम फाइनेंस को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूर्ण लाभ देने के लिए। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वग्रह के बिना ऋणी एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफलता पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- 11.4 किसी भी सुविधा के किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार विज़डम फाइनेंस के सभी अधिकार और उपचार तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि ऋणी की देय राशि की विज़डम फाइनेंस द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती।
- 11.5 ऋणी स्वीकार करता है कि वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणी द्वारा देय और या सहमत ब्याज दर, अतिदेय प्रभार और अन्य अतिरिक्त प्रभार उचित और स्वीकार्य हैं।
- 11.6 ऋणी स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस इस तरह की गतिविधियों को स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हकदार होगा और उसके पास एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार है (इसके बाद "सेवा प्रदाता" के रूप में संदर्भित) जैसा कि विज़डम फाइनेंस चयन कर सकता है और ऐसी पक्षों को अपने सभी या किसी भी कार्य को सौंप सकता है, ऋणी प्रशासन से संबंधित जानकारी की सोसिएंगा, पहचान और सत्यापन, सुविधा की निगरानी और सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों का निष्पादित करने और निष्पादित करने और निष्पादित करने से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकार और शक्ति, जिसमें नोटिस भेजना, ऋणी से संपर्क करना, विज़डम फाइनेंस के पक्ष में ऋणी से नकद / चेक / ड्रॉपट / जनादेश प्राप्त करना शामिल है। विज़डम फाइनेंस ऋणी के एकमात्र जाओगी और अलगत पर, ऋणी की देय राशि की एकत्र करने का लिए सेवा प्रदाता (ओं) का संलग्न हकदार होगा और आगे ऋणी से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्यों और अंकड़ों को साझा करने का भी हकदार होगा जैसा कि विज़डम फाइनेंस पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझता है। इस संबंध में, विज़डम फाइनेंस ऐसे सेवा प्रदाता (ओं) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और इससे जुड़ी चीजों, या आकस्मिक कार्यों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार भी सौंप सकता है, जैसा कि विज़डम फाइनेंस उचित समझ। ऋणी को ऐसे सेवा प्रदाता (ओं) की नियुक्ति के बारे में ईमेल/संदेश के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। ऋणी ऐसे प्रतिनिधिमंडल को पहचानता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है।
- 11.7 ऋणी एतद्वारा विज़डम फाइनेंस को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय/व्यवसाय प्रमाण दस्तावेज, कर पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, निवास प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और अन्य ऐसे दस्तावेज ज्ञानकारी शामिल हैं जो उनके द्वारा किसी भी सुविधा को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और वे विज़डम फाइनेंस द्वारा उसी के बाद के प्रतिधारण के लिए भी सहमति देते हैं।
- 11.8 ऋणी समय-समय पर ऋणी के पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकृत और अधिकृत करता है और ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट भी तैयार करने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है और जब भी विज़डम फाइनेंस उचित समझे। ऋणी एतद्वारा सहमति भी देता है और वे विज़डम फाइनेंस को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने के लिए अधिकृत करता है और आधार ई-केवाईसी के माध्यम से इस तरह के सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए या अन्यथा ऐसी सभी कार्यवाहियों के लिए अधिकृत करता है और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करता है और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करता है जो वह उचित समझे।
- 11.9 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, डिफॉल्ट, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहमति किसी भी मामले की महत्वपूर्ण संबंध में विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की महत्वपूर्णता के संबंध में विज़डम फाइनेंस की राय अंतिम होगी और ऋणी पर बाध्यकारी होगी।
- 11.10 ऋणी और विज़डम फाइनेंस पारस्परिक रूप से लोन शर्तों पर एक नई सुविधा प्रदान करने और ऋणी द्वारा इस तरह के आगे के पत्र/वचन पत्र के निष्पादन पर सहमत हो सकते हैं जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकता है।

## 12. अधित्याग

लोन अवधि के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में विज़डम फाइनेंस की विफलता या देरी छूट या अधिग्रहण के रूप में काम नहीं करेगी, न ही किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक अभ्यास किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के किसी भी आगे या प्रयोग को रोकेगा।

ऋणी स्पष्ट रूप से समझता है कि ऋणी (ओं) और विज़डम फाइनेंस के बीच संबंध विशुद्ध रूप से वित्तीय है और इस लोन अवधि की शर्तों तक ही सीमित है और विज़डम फाइनेंस द्वारा प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में नहीं है। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लोन अवधि से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में होने वाले किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

### 13. पृथक्करणीयता

ऋणी स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है और बाकी हिस्सों से अलग है।

### 14. शासी कानून और अधिकार क्षेत्र

14.1 सभी सुविधा और वित्तपोषण दस्तावेजों को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।

14.2 यहां निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या दावे से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विवाद और/या दावे, जिसमें इसके निर्माण, व्याख्या, अर्थ, दायरे, संचालन, प्रभाव और/या वैधता ("विवाद") शामिल हैं, को एक स्वतंत्र संस्था प्रीसोल्व360, इसके विवाद समाधान नियमों ("नियम") के अनुसार, द्वारा प्रशासित मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि मध्यस्थता नियमों के तहत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष होगी। मध्यस्थता की न्यायिक सीट बैंगलोर, भारत होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाधकारी होगा। उपरोक्त के अधीन, सीट पर सक्षम न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

14.3 पक्ष प्रीसोल्व360 (<https://presolv360.com>) के अॉनलाइन विवाद समाधान ("ओडीआर") प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुतः मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए सहमत हैं और, इस उद्देश्य के लिए, अनुबंध में उपलब्ध, प्रदान किए गए या अन्यथा संदर्भित ईमेल पते और/या मोबाइल नंबरों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मध्यस्थ की राय में मध्यस्थता कार्यवाही को वस्तुतः प्रशासित नहीं किया जा सकता है, तो कार्यवाही शारीरिक रूप से आयोजित की जाएगी, और कार्यवाही का स्थान मध्यस्थ द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पक्षों की सुविधा भी शामिल है।

### 15. नोटिस

15.1 वित्तपोषण दस्तावेजों के संबंध में ऋणी को दी जाने वाली किसी भी सूचना को वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि ऋणी को तामील किया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा ऋणी के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर भेजा गया हो या छोड़ दिया गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी नोटिस को ऋणी द्वारा उसकी तैनाती के समय से 48 घंटों के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। विज़डम फाइनेंस को कोई भी नोटिस केवल तभी वैध माना जाएगा जब विज़डम फाइनेंस द्वारा उसके उपर्युक्त पते पर प्राप्त किया गया हो।

### 16. असाइनमेंट

16.1 ऋणी किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को स्थानांतरित करने या सौंपने का हकदार नहीं होगा या विज़डम फाइनेंस की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई तीसरा पक्ष हित नहीं बनाएगा।  
16.2 विज़डम फाइनेंस किसी भी तरीके से (संपूर्ण या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और/या देनदारियों को वित्तीय दस्तावेजों के तहत बेचने, स्थानांतरित करने, असाइन करने या प्रतिभूतिकरण करने का हकदार होगा, बिना किसी भी व्यक्ति को पूर्व लिखित सहमति या सूचना के और ऐसी शर्तों के रूप में जो विज़डम फाइनेंस तय कर सकता है। इस तरह के हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, ऋणी ऐसे समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, ऋणी शेष एनएसीएच को हस्तांतरिती/समनुदेशिती के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा यदि विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

### 17. क्षतिपूर्ति

17.1 ऋणी एतद्वारा क्षतिपूर्ति, बचाव करता है और विज़डम फाइनेंस, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को समय-समय पर हानिरहित रखता है और किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय के खिलाफ (बिना सीमा के, उचित वकील की फीस और व्यय, सहित) ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों या घटना में निहित किसी भी नियम और शर्तों और दायित्वों का पालन करने या प्रदर्शन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप या उत्पन्न होता है तिफ़ाइल्ट या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग, जिसमें सुरक्षा के किसी भी प्रवर्तन या ऋणी की देय राशि की रिकवरी शामिल है।

### 18. शिकायत निवारण

यदि ऋणी को सुविधा के संबंध में कोई शिकायत है, या उससे संबंधित कोई मामला है, तो ऋणी किसी भी कार्य दिवस में (सोमवार से शुक्रवार - सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच ग्राहक सेवा टीम से संपर्क कर सकता है:

पंजीकृत ई-मेल	<a href="mailto:customercare@whizdmfinance.com">customercare@whizdmfinance.com</a>
कार्यालय के पते पर पोस्ट/कूरियर या व्यक्तिगत रूप से विजिट	विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड १७/१, तीसरी मंज़िल, द एंड्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुकिसेनाहल्ली, बैंगलुरु - ५६०१०३
फोन नंबर	080-69501313

शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक <https://whizdmfinance.com/grievance-redressal/> देखें

### 19. स्वीकृति

आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक को पता है कि विज़डम फाइनेंस इस लोन शर्तों के लिए एक पक्ष बनने के लिए सहमत होगा, केवल सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद ही लोन शर्तों और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में मेरे / हमारे द्वारा विज़डम फाइनेंस नीति के अनुरूप भरा गया है। आवेदक इस बात से सहमत है कि इन लोन शर्तों को समाप्त कर दिया जाएगा और उस तारीख को कानूनी रूप से बाधकारी हो जाएगा जब विज़डम फाइनेंस के अधिकृत अधिकारी बैंगलोर में या पहले संवितरण की तारीख, जो भी पहले हो, पर हस्ताक्षर करेगे।

"मैं स्वीकार करता हूं" पर क्लिक करके, ऋणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन लोन शर्तों पर हस्ताक्षर करता है और कानूनी रूप से इसकी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इन लोन शर्तों के ऋणी की स्वीकृति का गठन होगा: (i) ऋणी अनुबंध अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और इन लोन शर्तों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से बिना शर्त बाध्य होने के लिए; और (ii) ऋणी की पावती और पुष्टि कि इन लोन शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणी द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।